तारीख हुक्म

29/5/19

पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते बहस अंतिम
आगामी पेशी दिनांक 7/6/19
को पेश हो

7/6/19 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19:6:19 को पेश हो।

19/6/19 अभिभाषकगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।/अन्य कार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 31:7:19 को वास्ते बहस अंतिम पेश हो।

31/7/19 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते बहस अंतिम
आगामी पेशी दिनांक 14.11.19
को पेश हो

4-9-19 वादीया द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में T.DR हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा जावे रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली को पेशी मे ली जावे।

हुक्म या व...

23.09.2019 दिनांक 04.09.20... हनुमानगढ़ से रि... गया। रिपोर्ट शा... मुताबिक रिप... गई :-

1. निर्णय दिना... 2073–76 के ... के पत्थर न... 23/2/.228... हैक्टर रकबा ... जाट साकिन ... आज दिनांक ...
2. मुताबिक राज... जाकर मुताबि... को खातेदार ...
3. उक्त भूमि गैर... में लाई जा रह...
4. उक्त भूमि के ... के प्रस्तुत किय...
5. भू. रूपान्तरण ... प्रति संलग्न है ... शुल्क की गणन...

रिपोर्ट का अव... गया बाद अवलोक... खातेदार को पक्षक... पक्षकार बनाया गय... विवादित आराजी ... भी वर्ष 2016 में ... प्रकरण में राजस्थान... के तहत कार्यवाही ...

अतः खातेदार द्व... जा चुका है उक्त ... पूर्ण नहीं हो पा रह... खारिज किया जाव... किया जाता है, कि ... पत्थर नम्बर 148... 23/2/.228, 24... स्थिति निर्णय दिनांव... अप्रार्थीगण को 3 ... सम्परिवर्तन करवाये ... उपयोग में पाये जाने... आर.टी.ए. के तहत व...

पत्रावली नम्बर ... दफ्तर हो।

आदेश आज दिन... खुले न्यायालय में सु...

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

23.09.2019 दिनांक 04.09.2019 को जारी पत्र की पालना में तहसीलदार हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होनें पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

मुताबिक रिपोर्ट प्रकरण में बिन्दूवार रिपोर्ट निम्नानुसार पाई गई :–

1. निर्णय दिनांक 27.07.2016 से पूर्व जमाबन्दी सम्वम् 2073–76 के खाता संख्या 29 के अनुसार चक 16 एम.डी. के पत्थर नम्बर 148/332 में किला नम्बर 16 से 18, 23/2/.228, 24/2/.228, 25/2/.228 कुल 1.012 हैक्टर रकबा दलीप औम प्रकाश पिसरान मस्तानाराम जाति जाट साकिन मुण्डा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो आज दिनांक को आराजीराज दर्ज है।
2. मुताबिक राजस्व अभिलेख खातेदार को पक्षकार न बनाया जाकर मुताबिक ए.जी. आडिट रिपोर्ट ईन्ट भट्टा संचालक को खातेदार बनाया गया।
3. उक्त भूमि गैर कृषि कार्य (ईन्ट भट्टा) के रूप में उपयोग में लाई जा रही है। वर्तमान में भट्टा चालु है।
4. उक्त भूमि के भू. स्पान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के प्रस्तुत किया हुआ है।
5. भू. रूपान्तरण हेतु राशि जमा करवाई गई है चालान की प्रति संलग्न है। वर्तमान डी.एल.सी.दर से शास्ति सम्परिर्वन शुल्क की गणना की जानी शेष है।

रिपोर्ट का अवलोकन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रकरण में भूमि के मूल खातेदार को पक्षकार न बनाया जाकर ईन्ट भट्टा संचालक को पक्षकार बनाया गया है, जो न्यायोचित है। मूल खातेदार द्वारा विवादित आराजी को भू उपयोग परिर्वतन हेतु स्पान्तरण शुल्क भी वर्ष 2016 में जमा करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही की जानी न्योचित नही है।

अतः खातेदार द्वारा भूमि का रूपान्तरण शुल्क जमा करवाया जा चुका है उक्त वाद के चलते भू रूपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पा रही है। अतः मूल वाद को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है, कि प्रकरण में वर्णित भूमि चक 16 एम.डी. के पत्थर नम्बर 148/332 में किला नम्बर 16 से 18, 23/2/.228, 24/2/.228, 25/2/.228 कुल 1.012 की स्थिति निर्णय दिनांक 27.07.2016 से पूर्व की बहाल की जाकर अप्रार्थीगण को 3 माह में उक्त भूमि का सक्षम अधिकारी से सम्परिवर्तन करवाये जानें हेतु पाबन्द करें अन्यथा भूमि गैर कृषि उपयोग में पाये जानें पर तहसीलदार हनुमानगढ़ पुनः धारा 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही करनें हेतु स्वतन्त्र है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23-09-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

जलास :– राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

रण संख्या :– 320/2015

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार हनुमानगढ़। ---प्रार्थी

बनाम

सुनीता पत्नी जयप्रकाश जाट साकिन भूकरका। ---अप्रार्थी/खातेदार काश्तकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

उपस्थित :–

1. पैरोकार राज स्वयं उपस्थित प्रार्थी दिनांक :– 27/7/16

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी राजस्थान राज्य की कृषि भूमि का भू–धारक है तथा भू–धारक की हैसियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। चक 16 एमडी तहसील हनुमानगढ (राजस्थान) के प.न. 148/332 मे कि.न. 16 ता 18, 23/2, 24/2, 25/2 कुल 1.012 हे0 भूमि है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख मे अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा अप्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी के पास कृषि कार्य हेतु है तथा अप्रार्थी या पूर्व खातेदार काश्तकार ने इस भूमि को राज्य सरकार के नियमों या विनियमों के तहत किसी कदर अकृषि कार्य मे संपरिवर्तन नही करवाया हुआ है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर ईट भट्टा बना रखा है जिसकी जानकारी प्रार्थी को हल्का पटवारी की रिपोर्ट से हुई है। अप्रार्थी को प्रश्नगत कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की किसी स्वीकृति के बिना तथा राज्य सरकार के नियमों व विनियमों मे भू–रूपांतरण करवाये बिना अकृषि कार्य (ईंट भट्टा) हेतु प्रयोग मे लिया गया है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक शर्तो का उल्लंघन किया है, जिससे राज्य को क्षति कारित हुई है। प्रार्थी प्रश्नगत कृषि भूमि से अप्रार्थी को बेदखल करवा प्रश्नगत कृषि भूमि को आराजीराज घोषित करवा कब्जा पाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी माननीय अदालत के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो अन्दर मियाद है। प्रार्थना पत्र राजस्थान राज्य की ओर से प्रस्तुत है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 की उपधारा (4) के परन्तुक के अनुसरण मे बिना न्याय शुल्क के प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर प्रश्नगत कृषि भूमि प.न. 148/332 मे कि.न. 16 ता 18, 23/2, 24/2, 25/2 कुल 1.012 हे0 कृषि भूमि मय गै.मु. भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर प्रश्नगत कृषि भूमि को आराजीराज घोषित करने व कब्जा प्रार्थी को दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलबी की गई। अप्रार्थी बाद तामील उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

पत्रावली पर पैरोकार राज की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पैरोकार राज ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार राज की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र साबित करने मे सफल रहा है। वादग्रस्त भूमि की वास्तविक मालिक राज्य सरकार है परन्तु अप्रार्थी ने उसको दिये गये अधिकारो का उल्लंघन करते हुए कृषि से भिन्न कार्य किया है तथा कृषि भूमि की प्रकृति को बदल कर मौके पर ईंट भट्टा स्थापित कर कृषि से भिन्न कार्यो हेतु उपयोग किया है तथा इसके लिए कोई संपरिवर्तन आदि नही करवाया है और न ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की है।

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 11:48:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: